न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

विभागीय अपील क्रमांक/वि.अ./132/2025/

निर्णय अपील

उपस्थितः— श्री अर्जुनराम चौधरी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी

दिनांकः— 11.11.2025

यह अपील राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत विभागीय अपील द्वारा अपीलांट श्री अर्जुनराम चौधरी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील मूण्डवा, जिला नागौर विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, नागौर के आदेश क्रमांक प.1(सी)संस्था/वि.जां./2024/892 दिनांक 25.06.2024 जिसमें अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोपित आरोप प्रमाणित होने के परिणामस्वरूप 2 वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक प.1(सी)( )संस्था/वि.जां./2022/3017 दिनांक 28.06.2022 जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी को निम्न आरोप से आरोपित किया गयाः—

आरोप संख्या—1

यह है कि उक्त श्री अर्जुनराम चौधरी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, सामान्य अनुभाग में 21.06.2022 तक कार्यरत रहे। उक्त पद पर पदस्थापित रहने के दौरान बार—बार कर्तव्य से अनुपस्थित रहे। श्री अर्जुनराम द्वारा अनुपस्थित दिवस को क्यूशन मार्क/क्रॉस अंकित होने के बावजूद उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किया जाना पाया गया। कार्मिक द्वारा अवकाश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना तथा अवकाश की कोई सूचना प्रस्तुत किये बिना ड्यूटी से अनुपस्थित रहना राजस्थान सेवा नियम 86 के अंतर्गत स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने की श्रेणी में आता है। उक्त श्री अर्जुनराम का उक्त कृत्य राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत होने के साथ—साथ उच्चाधिकारियों की अवहेलना के साथ—साथ अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति गंभीर लापरवाही एवं घोर उदासीनता का प्रतीक है।

आरोप संख्या –2

यह है कि उक्त श्री अर्जुनराम चौधरी तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, सामान्य अनुभाग के उक्त पद पर पदस्थापित रहने के दौरान पूर्व निर्धारित दिनांक 31.05.2022 को नशामुक्ति की शपथ दिलाये जाने हेतु कार्यालय के समस्त कार्मिकों को सामान्य अनुभाग द्वार अवगत/नोटेड करवाया जाना था, परंतु श्री अर्जुनराम के उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर अंकित होने के बावजूद कार्यालय में अनुपस्थित पाये गये। श्री अर्जुनराम के बार–बार बिना सूचना के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने एवं अपने अनुभाग से संबंधित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने के कृत्य पर इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 2413 द्वारा सी.सी.ए. नियम–17 के तहत आरोप पत्र जारी किये गये। इस प्रकार श्री अर्जुनराम स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के आदि रहे है। श्री अर्जुनराम का उक्त कृत्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति गंभीर लापरवाही एवं घोर उदासीनता के साथ–साथ गंभीर दुराचरण की श्रेणी में आता है।

अपीलार्थी/आरोपित को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपों का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा **लिखित अभिकथन** प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, नागौर के दण्डादेश दिनांक 25.06.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर दण्डादेश को चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर अपचारी कर्मचारी श्री अर्जुनराम चौधरी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, नागौर से संबंधित अभिलेख व टिप्पणी प्राप्त की गई।

अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि उपस्थिति पंजिका में कार्यालय अधीक्षक द्वारा कई कार्मिकों के क्रॉस लगाये गये थे। कार्यालय के अन्य कार्मिकों की भांति प्रार्थी द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति लेकर ही उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर किये थे। इस संबंध में भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति नहीं किये जाने का निवेदन किया।

आरोप संख्या 02 के संबंध में अपीलार्थी ने कथन किया कि दिनांक 31.05.2022 को नशामुक्ति की शपथ दिलाये जाने हेतु कार्यालय के समस्त कार्मिकों को नोटेड करवाया जाना था। इस संबंध में अवगत कराया गया कि दिनांक 31.05.2022 को नशामुक्ति की शपथ दिलाये जाने हेतु सामान्य अनुभाग से समस्त विभागों को पत्र जारी किया था एवं कार्यालय के कार्मिकों को सूचित कर

पाबंद किये जाने का कार्य नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट से सम्पादित किया जाता रहा है। दिनांक 31.05.2022 को प्रार्थी कार्मिक अपने कमरे में ही उपस्थित था। प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 31.05.2022 को कार्यालय से अनुपस्थित रहने का लगाया गया आरोप झूठा है। उक्त दिवस को प्रार्थी पूरे दिन कार्यालय मे ही उपस्थित था। अतः इस आधार पर प्रार्थी ने जिला कलक्टर, नागौर के दण्डादेश को निरस्त करने का निवेदन किया।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, प्रतिरक्षण एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, नागौर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कर्मचारी को जारी आरोप पत्र एवं अपचारी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किये गये आरोपों के प्रत्युत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन व मनन किया गया।

आरोपी का कथन है कि अन्य कार्मिकों की भांति ही उनके द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही उपस्थिति पंजिका में क्रॉस पर हस्ताक्षर किये थे, परंतु इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, जिससे यह प्रमाणित हो कि उनके द्वारा हस्ताक्षर करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। जांच रिपोर्ट में इस आरोप को प्रमाणित पाया गया है।

आरोप संख्या 02 के संबंध में अपीलार्थी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वे शपथ ग्रहण आयोजन के समय अपने कक्ष में ही थे। नशामुक्ति शपथ दिलाये जाने के आयोजन सम्पादन की समस्त जिम्मेदारी अपीलार्थी की थी। उन्हें शपथ दिलाये जाने के समय आयोजन में सम्मिलित रहना चाहिये था। जांच रिपोर्ट में आरोप संख्या 2 को जांच अधिकारी ने प्रमाणित पाया है। अपीलार्थी को स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण सीसीए नियम 17 में पूर्व में भी आरोप पत्र दिया जाना इस ओर इंगित करता है कि अनुपस्थित रहना अपीलार्थी के स्वभाव में शामिल है। इस प्रकार जांच रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन, विवेचन एवं विश्लेषण उपरांत जिला कलक्टर, नागौर के दण्डादेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अपीलार्थी श्री अर्जुनराम चौधरी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक सामान्य अनुभाग, जिला कलक्टर कार्यालय, नागौर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तहसील मूण्डवा, जिला नागौर की अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर, नागौर को दण्डादेश क्रमांक प.1(सी)संस्था/वि.जां./2024/892 दिनांक 25.06.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। अपील निर्णयादेश की प्रति संबंधित अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(शक्ति सिंह राठौड़)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर